स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार) के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

वर्ष-2025 (II)

संशोधित विवरण-पुस्तिका

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : 23.10.2025 (10.00 p.m.)

LIST OF DOCUMENTS प्रमाण पत्रों की सूची

| क्र.सं. | अनुलग्नक – विवरणी | व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है |
|---------|---|---|
| | | |
| 1 | मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान | |
| 1. | प्रमाणित हो । | सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत। |
| 2. | *जाति प्रमाण पत्र | Non Creamylayer सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के |
| | | अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 3. | चरित्र प्रमाण पत्र | जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य। |
| 4. | *आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना | स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| | है।) | |
| 5. | Income & Assest Certificate to be produced by Economically | Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in |
| | Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं | prescribed proforma.for Current Finaincial Year. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में |
| | परिसम्पति प्रमाण पत्र | निर्मत। |
| 6. | हाल का खिचा गया फोटोग्राफ | स्वहस्ताक्षरित फोटो। |
| 7. | बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र | स्थायी निवास के अंचाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 8. | स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से | सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| | किस प्रकार का सम्बन्ध है। | |
| 9. | दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र। | प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत। |
| 10. | कार्यानुभव प्रमाण पत्र। | सम्बन्धित एवं सक्षम पदाधिकारी (प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत । |
| 11. | कंडिका 2.(xi) के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र। | नियंत्री पदाधिकारी का अनुशंसा एवं विभाग द्वारा निर्गत। |
| 12. | विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र। | सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत। |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

^{* &}lt;u>NOTE</u> : To be furnished, <u>wherever</u> applicable.

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार) के अधीन

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

- स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सं.सं.-17/विविध-01-27/2022-764(17) दिनांक 21.07.2025 एवं पत्रांक- सं.सं.-17/विविध-01-27/2022-1087(17) दिनांक 03.10.2025 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) तथा बिहार चिकित्सा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नित नियमवाली-2008 व संशोधित नियमावली-2013 के अन्तर्गत पैनल निमार्ण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
- (क) **पदों की कोटिवार संख्या :** कुल पदों की संख्या- 193 + 854 = 1047 हैं। रिक्त पदों की विषयवार / कोटिवार विवरणी हेतु विवरण पुस्तिका का परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 देखें।

वेतनमान : टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरान्त चिकत्सक शिक्षकों को वेतनमान लेबल-9 एवं स्वास्थ्य सेवासंवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहें है, वही वेतन मॅंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होगा।

(ख) शैक्षणिक यौग्यता :

सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाट्यक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये चिकित्सकों से भरा जायेगा तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो। सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पदों के लिए न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता विषय-विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी। सुयोग्य उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होगी, जिसके लिए उन्हें भी विषय-विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि के समरूप 10 अंक देय होगा। परन्तु मेधासूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे होगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुरूप समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी चयन के पात्र होंगे।

1.1 राष्ट्रीयता :

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 आयु-सीमा:

सामान्य प्राशासन विभाग के संकल्प संख्या-294 दिनांक 07.01.2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना दिनांक 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

परन्तु नियमवाली में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिये उम्र सीमा में कोटिवार 05 वर्षों की छूट दी जायेगी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा, किन्तु दिव्यांगता के आधार पर दी जाने वाली अधिकतम आयुसीमा में छुट अथवा किसी अन्य आधार पर दी जाने वाली छुट के प्रावधान में से कोई एक ही प्रावधान के अन्तर्गत छूट अभ्यर्थी को अनुमान्य कराया जायेगा।

1.3 आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

(i) नियुक्ति के लिए ऑन-लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

- (ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को चालू वित्तीय वर्ष का क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे।
- (iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है।
- (iv) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।
- (vi) महिला / दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नितनी / पोता /पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

1.4 दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नितनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-

निम्नलिखित दोनों आरक्षिण क्षैतिज होगा।

- i. दिव्यांगजनों के लिए 9 + 27 = 36 पदें (किसी भी कोटि से 4%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2)।
- ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नितनी के लिये 3 + 16 = 19 पदें (किसी भी कोटि से 2%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2)।

2. टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्ते:

- i. विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियाँ इस पैनल से भरी जायेगी।
- ii. वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नात्तोकतर उपिध प्राप्त है, एवं उन सभी विषयों के लिये यिद वे आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग-अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख Online आवेदन में करना होगा। एक बार किसी विषय में चयनित आवेदक का किसी भी परिस्थित में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता MCI से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- iii. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों को निम्नरूपेण मूल्यांकन हेतु आर्वोटेत किया जायेगा-
 - (क) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1
 - नोट : एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांकों के कुल योग की गणना, सम्बन्धित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उर्त्तीणता के अंको का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।
 - (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक। 70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1
 - नोट: आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में प्राप्तांकों की गणना अनुत्तीर्णता एवं उत्तींणता अंको का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।
 - (ग) स्पेशियलिटी में एम0डी० / एम0एस० 10 अंक
 - (घ) उसी स्पेशियलिटी में पी0एच0डी० / डी0एम०, एम0सी0एच० 10 अंक
 - (ङ) बिहार राज्य के अन्तर्गत सरकारी / अर्द्धसरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) 10 अंक
 - (च) साक्षात्कार (स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार लिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अत: सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 06 अंक प्रदान किये जायेंगे।)
 - नोट: सरकारी क्षेत्र में नियमित / संविदागत कार्यानुभव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाट्यक्रम / फेलोशिप / प्रशिक्षण पाट्यक्रम के कार्यानुभव के आधार पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी।

- (छ) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। ऐसे एम0आर0सी0पी, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 एवं उसके बाद प्राप्त किये गए हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जएगा।
- iv. विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिये 01(एक) अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों वे इस पैनल हेतु पात्र नहीं होंगे।
- v. नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 16 (सोलह) होगा।
- vi. यदि किसी विषय या विभाग में एक या दो ही रिक्तियाँ उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में BHS/PGS/PGO में से अधिकतम अंक पानेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। BHS से तात्पर्य बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिन नियमित रूप से कार्यरत सभी कर्मी हैं।
- vii. जिन चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलम्बित हो अथवा लम्बे अवकाश में हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
- viii. वैसे चिकित्सक जो पूर्व में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर तीन वर्ष का टेन्योर पूर्ण कर चुके हैं वे सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के वर्तमान पद पर आवेदन देने के योग्य नहीं होंगे।
 - प्रत्येक आवेदक को एक शपथ-पत्र मूल रूप से साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने पूर्व में आवेदित विषय में NMC / MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / संस्थान में सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नहीं किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
- ix. चयनोपरान्त पदस्थापन सम्बन्धी विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- x. वैसे चिकित्सक जो सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर तीन वर्ष का टेन्योर पूर्ण कर चुके हैं वे उस विषय में दोबारा सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - उससे भिन्न किसी अन्य विषय में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद के लिये वह अभ्यर्थी पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पूर्व में बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी / अर्द्धसरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में किसी अन्य विषय में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर कार्य किये हों, को कार्यानुभव का अंक प्रदान किया जायेगा।
- xi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या- 91(17) दिनांक 27.01.2023 के अनुसार पी.जी. / डिप्लोमा उत्तीर्ण तीन वर्षीय बंध-पत्र से अच्छादित वैसे छात्र, जिन्हें सीनियर रेजिडेंट / इयूटर के पद पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में पदस्थापित नहीं किया गया है, उन्हें नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय अनापित प्राप्त किये जाने की शर्त्त के साथ अभ्यर्थी को सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुमित प्रदान की गयी है। सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर के पद पर कार्याविध की गणना बॉण्ड अविध में की जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को विभागीय NOC लाना अनिवार्य होगा।
- xii. कॉउन्सेलिंग हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नही होगा।
- xiii. Civil appeal no. 9482/2019 डा. (मेजर) मीता सहाय वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी / गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित सिहत) चिकित्सा संस्थानों का कार्यानुभव मान्य होगा। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य / अधीक्षक/ सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- xiv. NMC के अद्यतन मार्ग निर्देश (Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022) के अनुसार DNB / DNB Super Speciality सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर चयन हेतु मान्य अर्हता मानी जायेगी। इन्हें भी नियमानवली में अन्य अभ्यर्थियों के समरूप प्रकार से ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
- xv. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1795(2) दिनांक 18.10.2019 एवं पत्रांक- 1749 / दिनांक 14.10.2019 के नियमानुसार फॉर्मूला के आधार पर CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंको में परिवर्तित किया जायेगा।

3. साक्षात्कार शुल्क:

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ : Rupees 2250/- (Two thousand two hundred fifty).

4. Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया : राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुतकत हेतु पैनल निमार्ण में सिम्मिलत होने के लिये विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाईट पर जा कर "Online Portal of Senior Resident / Tutor under Health Dept." Link पर Click करने के पश्चात् "Apply for Senior Resident / Tutor" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ एवं समझ लें।

i. Step-One (Registration):

For Registration, candidate will have to fill all the information correctly in the Online Application Form as displayed on the computer screen under Step-1. While registering, the candidate should ensure that he / she uses only his / her own or his / her father / mother's email address and mobile number, because all information related to Registration will be sent to that email and Mobile Number. To verify the Mobile Number and email address provided by the candidate, separate verification code will be sent to both of them. Candidate will have to verify the verification code while registering. Under no circumstances, the mobile no. and email address will be changed during the entire session after verification of mobile number and email address. After successful registration the candidate will receive a notification of successful Registration on his / her Registered Mobile Number and email address, as mentioned by him. The candidates will login to their account to fill the Application Form completely online and submit it, for which they will have to login to their account using their Registration No. and Password given during registration and click on the "Sign In" button and complete the further process. The candidates should keep their Password during registration as confidential. The Board will not be responsible for any consequences.

ii. Step-Two (Multi-Step Application Form):

(a) Department Selection:

After successful registration, the candidate should again "**Sign in**" to his account and thereafter select the Department for which candidate wants to apply. Then click on "**Save & Continue**" button.

(b) Personal Information:

After successful completion of Department selection, candidate have to fill the required entries regarding personal information appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(c) Contact Details:

After successful completion of Personal Information candidate have to submit their Permanent and Correspondence Address as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(d) Educational Information:

After successful completion of Contact Details candidate have to submit their Educational Information as appeared on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

(e) Upload Photo & Signature:

After successful completion of Educational Information candidate have to upload the Scanned copy of their highly contrast Colour Photograph and Signature at appropriate place as per the instructions provided on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button. (For further details kindly refer to the instructions uploaded on application portal regarding Photo & Signature uploading.)

iii. Step-Three (Application Preview & Final Submit):

Candidates are advised to check their enteries provided in Step-1 & Step-2 of the application form and if found any anomalies, click on "Back to Edit" button and rectify it. After rectification click on "Save & Continue" button so that the enteries provided by them could get updated.

If all the informations provided during filling of Online Application Form found to be OK on the preview page, click on "Final Submit & Proceed to Payment" button by giving the declaration and pay the Counselling Fee as per instruction provided in Step-Four. If candidates does not do the final submission of the application form and payment of Counselling Fee within prescribed date & time, then their filled up application form will get rejected, for which candidate will be himself solely responsible and no any request will be entertained regarding this.

iv. Step-Four (Payment of Counselling Fee):

After clicking "Final Submit & Proceed to Payment" button, complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded.

a. Online Payment: Candidate will have to pay the Counselling Fee through Online mode only i.e.

Debit Card / Credit Card / Net banking/ UPI, The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.

b. Counselling Fee: Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 2250/- (Two Thousand Two Hundred Fifty) only for Unreserved / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ (PwD) candidates.

Note: (i) If the amount paid as Counselling Fee is debited from your account but the fee transaction fails, then in such case you must re-pay the desired full fee and ensure the payment. If your required Counselling fee do not reflect in Board's account within the due date, your application form will remain incomplete and will be rejected and will be rejected due to which will not be eligible for participating in the counselling process.

Your failed transaction will be refunded to your account in due course.

(ii) Any queries regarding failure of Counselling fee you may contact <u>bangalorepgsd@billdesk.com</u> available on online application portal *or* helpdesk phone number 0612-2220230.

v. Step-Five (Download Confirmation Page & Fee Receipt):

- (i) After successfull payment of Counselling Fee, candidates are advised to download the Confirmation Page & Fee Receipt and re-verify the enteries printed on the confirmation page. **If found any discrepancy it may be corrected during the time of Editing period** as per schedule mentioned in "**Important Dates**". Finally download the Confirmation Page for future use.
- (ii) The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have successfully filled their online application form and make the payment successfully within due date.
- (iii) For making rectification / correction / editing in online submitted application, the candidate is required to login their account using Registration No. & Password and click on "Sign In" button for getting his account to login where the editing process will be carried out.

Note: a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/rules/category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application.

- b. Hard copy of Application Form need not be sent to the Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
- c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
- d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refund / chargeback of paid counselling fee will be entertained.
- e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.
- 5. All the Original Certificates along with 1 extra xerox copy have to produce at the time of his / her counselling/Document Verification on the scheduled date;
 - i. Admit Card / Original Mark-sheet / Certificate of Matriculation or equivalent.
 - ii. Marks sheet of MBBS (I, II & III Parts)
 - iii. Passing Certificate of MBBS.
 - iv. Attempt Certificate of MBBS.
 - v. Marks Sheet / Passing Certificate of Speciality Subject.
 - vi. Certificate of Ph.D./ DM / MCH / M.Sc.
 - vii. Medical Registration Certificate.
 - viii. Experience Certificate, if any.
 - ix. Attested copy of "No Objection Certificate' from the employer if the applicant is in service.
 - x. Current Caste Certificate with Non Creamy Layer duly issued by the D.M. / S.D.O. (Civil) / C.O. / Revenue Officer of the District / Area of his permanent residence in the State of Bihar.
 - xi. Residential Certificate issued by C.O. / B.D.O./ Revenue Officer of the concerned area.
 - xii. Four idential photographs as used in filling online application
 - xiii. For Disable Quota candidate, Disability Certificate issued by Competent Medical Board /Authority.
 - xiv. Certificate for Economically Weaker Section (EWS) issued by the D.M./ S.D.O. of the District / area of his permanent residence in the State of Bihar.
 - xv. Grand Son / Grand Daughter of freedom fighter quota Certificate issued by proper authority.
 - xvi. Any other Certificate apart from the above as per the requirement of the prospectus of appointment for Tenure Post of Senior Resident / Tutor 2025(II) under Health Department, Govt. of Bihar.
 - xvii. Verification Slip (जाँच-पर्ची) as downloded from Boards website in 2 copy साक्षात्कार / Document Verification के समय साथ लाना अनिवार्य है।
 - xviii. Downloaded print of Online filled Application (Confirmation Page).

Details regarding original certificate can be seen on Prospectus.

- 6. सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर की नियुक्ति-2025 (II) से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पुनर्निर्धारित तिथियाँ :-
 - (i) Online Registration Starting Date: 07.10.2025
 - (ii) Online Registration Closing Date: 23.10.2025 (10.00 P.M.)
 - (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI after submission of the Online Application Form of Registered Candidate: 23.10.2025 (11.59 P.M.)
 - (iv) Online Editing of Application: 24.10.2025 to 25.10.2025 (11.59 P.M.)
 - (v) Date of Publishing of Document Verification programme : To be notified later on.

अन्य निदेश :

- i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगी । किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा।
- ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा । इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
- iii. किसी उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।
- iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता कॉउन्सेलिंग में सिम्मिलत होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वर्चित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।
- v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- vi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- vii. विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित सम्बन्धित किसी भी नियम / सूचना / प्रावधान को संशोधित / विलोपित / परिवर्तित करने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को कॉउन्सेलिंग से यथा साध्य पहले या कॉउन्सेलिंग के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।
- viii. इस पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।

- ix. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमित मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सिम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में सिम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा।
- x. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- xi. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त कॉउन्सेलिंग में मूल प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण-पत्र होने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रह एवं उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

8. Other Important information :

- (1). Candidates who have passed with grace marks, only actual marks obtained by the candidates shall be counted. Grace marks awarded to him are not to be considered / counted.
- (2). Recognized or permitted Institutes / Colleges are to be treated similarly.
- (3). If a candidate has joined service (i.e. is in BHS) before last date of receipt of application, he is to be considered as BHS for all purposes.
- (4). Result declared after last date of receipt of application will not be entertained. Last date of the month on which examination was held is to be treated as date of passing.
- (5). All candidates have to produce their failure marks sheet. Unable to do so will make his candidature as Not Eligible.
- (6). For all foreign graduates, marks awarded in MCI conducted eligibility exam (FMGE) are to be used for calculation for all purposes. Marks of his Degree will not be considered,

- (7). Candidates having obtained higher qualification (Super specialization) in related course are to be taken into consideration for awarding points.
- (8). Candidate who have done Post Graduate in broad speciality subject, but have applied for S.R./ Tutor in related / allied super speciality subject are to be considered eligible for super speciality SR ship.
 - (a) MD Medicine candidates are to be considered eligible for S.R. in Geriatrics provided the candidates have applied for S.R. in Geriatrics.
- (9). All candidates who have done super speciality e.g. MCH / DM directly after passing MBBS are to be awarded 20 points (10 for PG & 10 for Super speciality) just as candidates who have done DM / MCH after MD / MS etc.
- (10). All such candidates who are working as lecturer or Asst. Prof. (without doing SR / Tutor) are to be considered eligible for SR / Tutor.
- (11). Candidates who have not submitted Non Creamy Layer Caste Certificate during couselling / documents verification are to be considered as UR candidates.
- (12). Every eligible candidate has to submit an affidavit stating that He / She has never been appointed and completed the 3 years tenure post of SR / Tutor in applied subject.

परिशिष्ट-1

अधियाचित पदों की विवरणी [सत्र 2025(II)]

पद का नाम : सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर

| क्र | विभाग | आरक्षित / चालू | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति | | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | | पिछ | ड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | अन | नारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर | | कुल | स्वतंत्रता | दि | व्यांग व | को 4% | 6 |
|-----|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-----|------------|-----|----------|-------|---|
| सं | का नाम | रिक्ति से | (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | की महिला | (6) | | वर्ग (7) | | रिक्त पद | सेनानी के | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (5) | | | | | | पोता/पोती/ | | | | | | |
| | | | कोटिवार | महिलाओं के | कोटिवार | महिलाओं के | कोटिवार | महिलाओं के | कोटिवार | महिलाओं के | कोटिवार | कोटिवार | महिलाओं के | कोटिवार | महिलाओं के | | नाती/नातिनी | | | П | | | |
| | | | रिक्ति की | लिए | रिक्ति की | लिए | रिक्ति की | लिए | रिक्ति की | लिए | रिक्ति की | रिक्ति की | लिए | रिक्ति की | लिए | | को 2% | | | | | | |
| | | | संख्या | (35%) | संख्या | (35%) | संख्या | (35%) | संख्या | (35%) | संख्या | संख्या | (35%) | संख्या | (35%) | | | वी. | | ओ. | एम. | | |
| | | | | आरक्षित पदों | | आरक्षित पदों | | आरक्षित पदों | | आरक्षित पदों | | | आरक्षित पदों | | आरक्षित पदों | | | आई. | डी.डी. | एच. | डी. | | |
| | | | | की कोटिवार | | की कोटिवार | | की कोटिवार | | की कोटिवार | | | की कोटिवार | | की कोटिवार | | | | | | | | |
| | | | | संख्या | | संख्या | | संख्या | | संख्या | | | संख्या | | संख्या | | | | | | | | |
| | टी.बी. | बैकलाग से | 12 | | | 1 | | 14 | | 9 | 0 | 32* | 10 | 3 | 1 | 73 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | | |
| ' | एवं चेस्ट | चालू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 10 | 3 | ' | 73 | ı | 1 | 1 | ' | ' | | |
| 2 | एफ.एम. | बैकलाग से | 12 | | | 1 | | 14 | | 9 | | 32* | 10 | 4 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1* | 1* | 1* | | |
| - | टी. | चालू | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 10 | 4 | ' | 75 | | 0 | ' | | ' | | |
| 3 | नेफ्रोलॉजी | बैकलाग से | | 7 | | 1 | | 8 | | 6 | 0 | 004 | 6 | 2 | 0 | 45 | 1 | 1* | 1* | 0 | 0 | | |
| 3 | - IMAGINAL | चालू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20* | 0 | 2 | | 45 | ' | ı | ' | ١ | ١ | | |
| | | | | | | | | कुल | | | | | | | | 193 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |

नोट : 1. विषयवार / कोटिवार पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्त्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग के समय सूचित कर दिया जाएगा।

^{2.} बिहार अधिनियम सं.-3, 1992 की कॉडिका 4(6)(क) के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कॉडिका 4(6)(ख) के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग हेतु पद आरक्षित।

^{3.} सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 962 दिनांक 22.01.2021 की कॉडिका-02(9) के आलोक में दिव्यांगजनों हेतु गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित ।

<u>परिशिष्ट-2</u>

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सं.सं.-17/विविध-01-27/2022-1087 (17) दिनांक - 03.10.2025 के द्वारा

अधियाचित पदों की विवरणी [सत्र 2025(II)]

पद का नाम : सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर

| क्र० सं० | | | अनुसृ | अनुसूचित जाति (1) | | अनुसूचित जनजाति (2) | | पिछड़ा वर्ग (3) | पिघ | ब्ड़ा वर्ग (4) | पिछड़े वर्गो की महिलाएं (5) | अ | अनारक्षित (6) | | क रूप से ार वर्ग (7) | | स्वतंत्रता | दिव्यांग को 4 % | | | |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|-----------------|------------|-----------|------------|
| | विभाग का नाम | बैकलॉग / चालू रिक्ति से | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलााओं के लिए (35%) आरिश्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलााओं के लिए (35%) आरिश्वत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिवित की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (३५%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरिक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कुल रिक्त पद | सेनानी के पोता / पोती / नाती / नातीनी को 2 % | वी० आई० | ভীo ভীo | ओ० एच० | एम० डी० |
| 1 | एनाटॉमी | बैकलॉग से | | 7 | | 0 | | 7 | | 5 | 1 | 1.0 | | | 550 | - | | | | | 0 |
| 1 | र्भाटाना | चालू | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | माईक्रोबायोलॉजी | बैकलॉग से | | 8 | | 0 | | 9 | | 4 | 2 | 15 | 5 | 4 | , | (0 | 4 4 | 0 | 0 | , | 1 |
| - 4 | नाइप्रमचालाजा | चालू | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 |) | 4 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | औषधि | बैकलॉग से | | 13 | | 1 | | 14 | | 9 | 2 | 1.4 | _ | 2 | | | 1 | 0 | | | |
| 3 | आषाध | चालू | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 72 | | | 0 | 1 | 1 |
| 4 | मनोरोग | बैकलॉग से | | 5 | | 0 | | 5 | | 4 | 1 | 18 | 6 | 4 | , | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | चालू | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | I |
| 5 | फिजियोलॉजी | बैकलॉग से | | 6 | | 0 | | 7 | | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | | 2 | 0 | | | 0 |
| 3 | विग्रजयालाजा | चालू | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | फर्माकोलॉजी | बैकलॉग से | | 8 | | 1 | | 9 | | 6 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | , | 0 |
| 0 | प्रभाष/ग्रिशाजा | चालू | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 58 | U | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | पी०एस०एम० | बैकलॉग से | | 8 | | 0 | | 9 | | 6 | 1 | 16 | | 4 | 1 | (2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | चालू | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | रेडियोलॉजी | बैकलॉग से | | 7 | | 1 | | 8 | | 6 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 70 | 1 | , | 1 | 0 | 0 |
| 6 | राउपालाजा | चालू | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | | 3 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | चर्म एवं रति रोग | बैकलॉग से | | 5 | | 0 | | 5 | | 4 | 1 | 18 | 6 | _ | 2 | - (0 | Ī | , | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 44 74 70 74 | चालू | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | | | 5 | 2 | 60 | | 1 | | 0 | 1 |
| 10 | जेरियाट्रिक्स | बैकलॉग से | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 25 | | | | | 0 |
| 10 | ontangati | चालू | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | रेडियोथेरापी | बैकलॉग से | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 28 | 10 | 7 | 2 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1 | राउपायरामा | चालू | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 20 | 10 | / | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | कार्डियोथोरेसिक सर्जरी | बैकलॉग से | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (सुपरस्पेशियलिटी) | चालू | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 8 | 0 | 0 | U | U | 0 |
| 13 | कार्डियोलॉजी | बैकलॉग से | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 1 | 44 | ī | , | - | 0 | 0 |
| 13 | (सुपरस्पेशियलिटी) | चालू | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 44 | ı. | ı | 1 | 0 | 0 |
| 14 | इन्डोक्राइनोलॉजी | बैकलॉग से | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | (सुपरस्पेशियलिटी) | चालू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | अनुसूचित जाति (1) | | अनुसूचि | वत जनजाति (2) | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (3) | | पिछड़ा वर्ग (4) | | पिछड़े वर्गो की महिलाएं (5) | अनारक्षित (6) | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (7) | | | स्वतंत्रता | दिव्यांग को 4 % | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|------------|-----------|------------|
| क्र० सं० | विभाग का नाम | बैकलॉग/ चालू रिक्ति से | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के निए (३५%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलााओं के लिए (३५%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (३५%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (३५%) आरिक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (३५%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलााओं के लिए (35%) आररिक्षत पदों की कोटिवार संख्या | कुल रिक्त पद | सेनानी के पोता / पोती / नाती / नातीनी को 2 % | वी० आई० | ভীo ভীo | ओ० एच० | एम० डी० |
| 15 | गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी (सुपरस्पेशियलिटी) | बैकलॉग से | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 3 | | , | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | चालू | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | U | 0 | Ü | 0 | 0 |
| 16 | न्यूरो सर्जरी (सुपरस्पेशियलिटी) | वैकलॉग से | 3 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | 10 | 1 | 3 | , | 34 | | 0 | 1 | | 0 |
| 16 | | चालू | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | न्यूरोलॉजी (सुपरस्पेशियलिटी) | बैकलॉग से | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.7 | 17 6 | 5 | 2 | 45 | , | , | 1 | 0 | 0 |
| 17 | | चालू | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | L | 17 | 6 | 3 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | " |
| 10 | प्लास्टिक सर्जरी | बैकलॉग से | | 1 | | 0 | | 2 | | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | , | 32 | , | 0 | , | 0 | 0 |
| 18 | (सुपरस्पेशियलिटी) | चालू | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 111 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | " |
| 19 | शिशु सर्जरी | बैकलॉग से | 0 0 0 0 | | , | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | (सुपरस्पेशियलिटी) | चालू | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 3 | 0 | | 0 | U | |
| | | | | | | व् | रुल | *************************************** | | | *************************************** | | | | | 854 | 16 | 6 | 9 | 8 | 4 |

नोट : 1. विषयवार / कोटिवार पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्त्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग के समय सूचित कर दिया जाएगा।

- 2. बिहार अधिनियम सं.-3, 1992 की कॉडिका 4(6)(क) के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कॉडिका 4(6)(ख) के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग हेतु पद आरक्षित।
- 3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 962 दिनांक 22.01.2021 की कॉडिका-02(9) के आलोक में दिव्यांगजनों हेतु गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित ।